प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT Nainital (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Saveen Bansal, I.A.S., deputy commissioner, Nainital on dated .... at time ....at .... in which application claiming rights in .... / area measuring 1.53 hect for the Construction of **Katana to Wari** Motor Road (1.53 Km) forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Dari sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;..............

Dated:.............

Signature

(Full name and official seal of the District Collector

प्रारुप–30.2

परियोजना विवरण :– जनपद नैनीताल के ब्लॉक ओखलकांडा में कटना से वारी मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 1. 850 किमी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कोश्याकुटौली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, धारी

उपखण्ड **धारी** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **कटना से वारी मोटर मार्ग** (1.53 **है0 आरक्षित वन भूमि, – है0 सिविल सोयम भूमि वन पंचायत भूमि है0) अर्थात कुल वन भूमि 1.53 है0**) का **ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड/ अधिशासी अभियन्ता, अस्थाइ खण्ड, लो0नि0वि0,**भवाली प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (**तहसील धारी**) की दिनांक ------------ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री राकेश तिवारी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री .... उपजिलाधिकारी **तहसील धारी** अध्यक्ष
2. श्री ------------- उप प्रभागीय वनाधिकारी **वनप्रभाग नैनीताल** सदस्य
3. श्री ------------- सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव
4. श्री ------------- बी0डी0सी0 क्षेत्र --------------------------- सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **कटना से वारी मोटर मार्ग** परियोजना हेतु 1.53 **है0** वन भूमि **ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड/ अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, भवाली** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्वित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड धारी परिक्षेत्र के अन्तर्गत **कटना से वारी मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु **1.53 है0** वन भूमि **ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड/ अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई** खण्ड, **लो0नि0वि0, भवाली** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–..............................
जनपद ....

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–..............................

प्रारुप–30.3

परियोजना विवरण :– जनपद नैनीताल के ब्लॉक ओखलकांडा में कटना से वारी मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 1.850 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कटना

तहसील **धारी**, जिला **नैनीताल**

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में जनपद **नैनीताल** के अन्तर्गत **कटना से वारी मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु (1.53 है0 आरक्षित वन भूमि,शून्य है0 सिविल सोयम भूमि वन पंचायत भूमि शून्य है0) अर्थात कुल **1.53** है0 वन भूमि का **ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड/ अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, भवाली** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **कटना** द्वारा दिनांक...............को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * **उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।**

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **वारी** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड/ अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, भवाली** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– ग्राम सचिव मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी विकास खण्ड ओखलकाण्डा जनपद–नैनीताल

ह0/– ग्राम प्रधान/सरपंच मुहर सहित

भावना देवी सरपन्च वन पंचायत वारी वि.ख. ओखलकांडा (नैनीताल)

प्रारुप–30.4

परियोजना विवरण :– जनपद नैनीताल के ब्लॉक ओखलकांडा में कटना से वारी मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 1.850 किमी0)

दिनांक ....को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कटना / वारी

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	किशनसिंह	[illegible]
2	नारायणसिंह	नारायणसिंह
3	गोपालचन्द	[illegible]
4	हेमचन्द	[illegible]
5	बद्री दत्त	बद्रीदत्त
6	हरीश चन्द्र	हरीश चन्द्र
7	राजेन्द्र जोशी	[illegible]
8	मीना	मीना
9	गंगा देवी	गंगा देवी
10	हंसा देवी	हंसा देवी
11	केशवदत्त	केशवदत्त
12	ललित मोहन	ललित मोहन
13	दीकानन्द बाधियाल	टीकानन्द बाधियाल
14	hema Bhatt	hema Bhatt
15	शंकरदत्त	शंकरदत्त
16	बैशनवी	बैशनवी
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

ह0/–

(28)

निरापत्ती प्रस्ताव

सेवामें,

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता महोदय,
लोक निर्माण विभाग भवाली जिला-नैनीताल.

महोदय

सविनय प्रार्थना है कि ग्राम पंचायत सूनी के अन्तर्गत ग्राम-बारी के समस्त काश्तकार मोटर मार्ग के लिए अपनी भूमि सहर्ष देने के लिए तैयार हैं, इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होगी।

अत: श्रीमान जी से समस्त ग्राम वासी प्रार्थना करते हैं कि जन हित को देखते हुए शीघ्र ही मोटर मार्ग का कार्य चालू करवाने की कृपा करेंगे।

दिनांक 10·12·2010

भूमिधर काश्तकारों के हस्ताक्षर -

ममता जोशी
[illegible]
तारा दत्त

[illegible] बारी
लीलाधर पूर्व प्रधान बारी
हेम चन्द्र बारिख्याल
तुलसी देवी
बद्री दत्त
शंकर दत्त
हेम बारिख्याल
गोपाल चन्द्र [illegible]
मीना जोशी
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[signature]
प्रधान ग्राम पंचायत - सूनी
[illegible] (नैनीताल)

छाया प्रति प्रमाणित

[signature]
सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो० नि० वि०
भवाली (नैनीताल)

शिवदत्त

P.yosı

...ीला जोशी

...खा जोशी

हिमांशु

...ोपालदत्त वारी

...ामा नन्द जोशी

...

दीपक वारियाल

...का नली देवी

आनन्दी देवी

लक्षीदत्त वारियाल

पवली देवी

...शानवी देवी

प्रपत्र--23.4

परियोजना का नाम-- जनपद नैनीताल में कटना से वारी मोटर मार्ग का निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत प्रस्तावित कटना से वारी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु [illegible] है0 बनभूमि प्रयोक्ता एजेन्सी अस्थाई खंण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं0 11--9/98--एफ0सी0 दिनांक 5.02.2013 के द्वारा रेखाकार (सपदमंत) प्रयोजनों यथा सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईप लाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम ,2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर किसी आदिकालीन जनजाति समूह (**Primitive Tribal Groups**)व आदिकालीन कृषि समुदाय (**Pre Agricultural Tribal Groups**) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
नैनीताल

जिलाधिकारी,
जिलाधिकारी
नैनीताल

ANNEXURE-1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT NAINITAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional Forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Deepak Rawat I.A.S.** Deputy Commissioner. Nainital on date 22.12.14. at time 3:00 P.M. at Nainital in Which application claiming rights of national area measuring **1.530 hect.** for . **Construction of Motor Road from Katana to Vari Length 4.00 Km. in Nainital District Uttarakhand.** Forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Bhimtal sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Nainital

Dated:

Deputy Commissioner-cum-Chairmen
District Level Committee.
जिलाधिकारी
नैनीताल

1·7 · (6)

Form – 1
Government of Uttrakhand
Office of the District Collector: Nainital

No 07

Date 22/12/14

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of environment and Forest (MOEF) Government of india`s letter no, 11-9/98-EC(pt) dated 3rd august 2009 wherein MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled tribes and other traditional forest dwellers (recognition of forest rights) Act 2006 ('FRA', for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MoEF's letters dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 1.530 **hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of Ty. **Div. P.W.D. BHOWALI UTTARAKHAND for Construction of Motor Road from Katana to Vari Length 4.00 Km. in Nainital District falls within Jurisdiction of Katana Village in Dhari Tehsil.**

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 1.530 **hectares** of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest rights committee(s) gram sabha(s) sub division level committee(s) and district level committee are enclosed as annexure 1 to ....annexure.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram sabha's have been given their consent to it.

(c) the proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.

Encl: As above

Signature
(Full name of the official seal of the District collector)
जिलाधिकारी
नैनीताल

It is further certified that

S.No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 1.530 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations ad meetings of the Forest Rights committees (s) and the District level Committee are enclosed as annexure 1 to ....annexure.	Not applicable as there are no habitats' belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under Section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabha's have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl: As above

Signature

जिलाधिकारी
(Full name of the official seal of the District Collector)
नैनीताल